

>

Title: Impostion of International Passport on Haj Pilgrims under Haj Committee of India.

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : महोदय, सऊदी अरब गवर्नमेंट ने इस साल एक आर्डर जारी किया है जिसमें इंटरनेशनल पासपोर्ट को हाजियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। आज तक हाजी पिलग्रिम पासपोर्ट से वहां जाते थे, जिस पर सिर्फ दो सौ रूपए हज कमेटी आफ इंडिया लेती थी। अगर इंटरनेशनल पासपोर्ट से उनको जाना पड़ेगा, तो हजारों रूपये खर्च होंगे और उनको बहुत परेशानी भी होगी। इसलिए मेरी मांग है कि माननीय प्राइम मिनिस्टर, सऊदी अरब गवर्नमेंट से इस सिलसिले में बात करके, इसे खत्म करायें, जिससे हाजियों को सहूलियत मिल सके।

दूसरी बात, हज कमेटी आफ इंडिया को कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं चाहता हूं और सारे मुसलमानों की तरफ से गुजारिश है कि उसको आयोग का दर्जा दिया जाए। सऊदी अरब सरकार ने इस साल 13 हजार हाजियों का एडीशनल कोटा गवर्नमेंट आफ इंडिया को दिया था, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उसको अपने हाथ से तकसीम किया, जिसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहूंगा कि आइंदा जो कोटा आए, वह हज कमेटी आफ इंडिया को दिया जाए, ताकि सही तकसीम हो सके और हाजियों को उसका फायदा मिल सके। मेरी यह गुजारिश है।

MR. SPEAKER: There will be no luncheon recess.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही नोटिस है।

MR. SPEAKER: You can associate.

m02

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, मैं थोड़ा समय ही लूंगा। जैसा कि अभी शफीकुर्रहमान बर्क साहब ने बताया कि सऊदी अरब सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट अनिवार्य होगा। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों की हज यात्रा से धार्मिक भावनायें जुड़ी होती हैं। ये लोग कोई व्यापार करने वहां नहीं जाते। यह बहुत गंभीर मामला है। पहले दो सौ रूपए पिलग्रिम पासपोर्ट पर इनका खर्च होता था, लेकिन अब खर्च ज्यादा होगा और परेशानियां भी होंगी।

महोदय, मैं आपके मार्फत एक निवेदन और करना चाहूंगा। इस बार 13 हजार हज यात्रियों का कोटा बढ़ा। प्रदेशों में मुसलमानों की संख्या के हिसाब से पूरे देश में कोटा बांट दिया जाता, लेकिन सरकार ने यह कोटा अपने पास रखा और अपनी सुविधानुसार उसका बटवारा किया। हम जो सांसद लोग हैं, सिफारिश करके मुश्किल से दो हज यात्रियों को भेज पाते हैं। सरकार ने अपनी सुविधानुसार उसका बटवारा किया, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। भविष्य में जब भी कोटा बढ़ाया जाए, तो सूबों में जो अकलियत की संख्या है, उसके हिसाब से कोटे का वितरण होना चाहिए।

MR. SPEAKER: Dr. Ram Chandra Dome. With you all the best!